भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 96

जिसका उत्तर सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक) को दिया गया

परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की जवाबदेही

†96. श्री राजीव राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) की संख्या कितनी है और पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा अधिग्रहीत संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की वर्षवार लागत कितनी है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एआरसी को बेची गई गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसमें बुक वैल्यू, बिक्री मूल्य, कटौती तथा वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एआरसी के लेन-देन में कम मूल्यांकन, धोखाधड़ी, मिलीभगत या अन्य अनियमितताओं के मामलों की जांच की है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एआरसी के लेन-देन में विनियमन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने तथा चूककर्ता प्रवर्तकों को संकटग्रस्त परिसंपत्तियों पर फिर से नियंत्रण हासिल करने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 27 एआरसी पंजीकृत हैं। मार्च 2022 से मार्च 2026 तक समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार "एआरसी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहित परिसंपत्तियों का संचयी मूल्य" नीचे दिया गया है: -

वित्तीय वर्ष	संचयी कुल राशि (करोड़ रुपये में)
31/3/2022	6,29,314
31/3/2023	8,39,126
31/3/2024	10,25,429
31/3/2025	16,19,124
31/3/2026	18,78,007

स्रोत: आरबीआई

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक-वार आंकड़े ***अनुबंध*** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एआरसी के विवेकपूर्ण, कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने प्रारंभ में दिनांक 23, अप्रैल 2003 को प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) अनुदेश एवं दिशा-निर्देश, 2003 के अंतर्गत एआरसी क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा अब एआरसी को जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निर्देश, 2025 के तहत समेकित किया गया है। इन निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एआरसी का पंजीकरण, प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण गतिविधियां, विवेकपूर्ण विनियम, अभिशासन और आचरण मानदंड, और लेखांकन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं शामिल हैं।

अनुबंध

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 जिसका उत्तर 20.07.2026 को दिया जाना है के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध, जो "परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की जवाबदेही" से संबंधित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एआरसी को बेचे गए एनपीए का विवरण (पिछले 5 वर्ष)

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	पीएसबी	बुक मूल्य	विक्रय मूल्य	वसूल की गई राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक	17,598.97	9,369.55	5,065.24
2	पंजाब नेशनल बैंक	12,411.19	5,233.64	3,523.85
3	केनरा बैंक	11,595.65	4,289.82	2,934.47
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	4,145.36	1,526.60	1,102.25
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9,623.08	4,243.49	3,437.29
6	बैंक ऑफ इंडिया	4,414.28	1,617.08	1,160.68
7	इंडियन बैंक	3,840.82	1,833.72	1,241.66
8	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,414.24	709.49	444.80
9	इंडियन ओवरसीज बैंक	8,130.05	3,040.41	1,974.26
10	यूको बैंक	1,891.00	918.11	248.77
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,803.45	948.97	502.24
12	पंजाब एंड सिंध बैंक	666.08	806.41	558.46
	कुल	**77,534.17**	**34,537.29**	**22,193.97**

स्रोत: पीएसबी

** 'कटौती' स्पष्ट रूप से परिभाषित शब्द नहीं है।*
